निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1936 (शo)

(सं0 पटना 560) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जुलाई 2014

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

6 मई 2014

सं0 22/नि0सि0(डि0)–14–01/2013/515—श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता (आई0 डी0 जे0–7681) सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार को मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी द्वारा नहरों की सतत् निगरानी रखने एवं आरा मुख्य नहर के 31.50 कि0मी0 के दाहिने बॉध में दिनांक 10.7.12 को हुए टूटान के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–235 दिनांक 13.2.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा बताया गया कि आरा मुख्य नहर के सवारी लॉक 28.26 कि0मी0 पर बिहार राज्य जल विद्युत निगम का विद्युत उत्पादन संयंत्र लगा हुआ है। दिनांक 9.7.12 की रात्रि में अतिवृष्टि होने के कारण नहर में अत्यधिक जलस्राव होने तथा सरकारी लॉक पर निर्मित विद्युत उत्पादन संयंत्र द्वारा संयंत्र चलाने हेतु एकत्रित किए गए पानी को बिना सूचना के छोड़ दिए जाने के कारण सवारी लॉक के 28.26 कि0मी0 एवं दनवार लॉक के 33.77 कि0मी0 के बीच 31.50 कि0मी0 पर दायॉ बॉध के उपर से पानी प्रवाहित होने के कारण नहर का दायॉ बॉध क्षतिग्रस्त हो गया। उसी क्रम में उनके (श्री सिंह) द्वारा पत्रांक 118 दिनांक 24.6.11 विद्युत संयंत्र नासरीगंज लॉक को पूर्व में प्रेषित किया गया था। श्री सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार का कार्यक्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है। विभाग द्वारा नहर पर रात्रि गश्ती हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती थी जिसकी सूचना उन्होंने थाना प्रभारी को दी थी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि विषय वस्तु से संबंधित वास्तविक तथ्यों की जानकारी के लिए उनके कार्यालय के पत्रांक 235 दिनांक 17.6.13 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर प्रमण्डल, आरा से श्री सिंह, सहायक अभियन्ता के विरूद्व लगाए गए आरोप के संबंध में एक प्रतिवेदन की मांग की गई। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नहरों के संचालन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है तथा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुॅचाने के लिए नहरों से छेड़ छाड़ की जाती है। श्री सिंह की मंशा उच्चाधिकारियों को परेशान एवं अपमानित करने तथा विभाग को बदनाम कराने की रहती है। अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह के विरूद्व अपने कार्य/ कर्तव्यों में उदासीनता बरते जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार के विरूद्व आरोप तथा उनसे प्राप्त बचाव एवं संचालन पदाधिकारी से पाप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्व अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने तथा नहरों का सही पर्यवेक्षण नहीं करने के प्रमाणित आरोप के लिए उनसे विभागीय पत्रांक 1199 दिनाक 30.9.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा में यह पाया गया कि श्री सिंह द्वारा पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान में उल्लिखित तथ्यों को ही दुहराया गया है एवं कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता को अपने कार्य/कर्तव्यों में उदासीनता बरतने तथा नहरों का सही पर्यवेक्षण नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–63 दिनांक 13.01.14 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गयाः–

1. तीन वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त संसूचित दण्ड के विरूद्व श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार द्वारा पुनिर्वचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें मूख्य रूप से निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया हैः–

1. आरा मुख्य नहर के सवारी लॉक 28.26 कि0मी0 एवं दनवार लॉक 33.77 कि0मी0 के बीच दायॉ बॉध काफी कमजोर है। 30 कि0मी0 से 32 कि0मी0 तक कच्छवा थाना के पास नहर का भराई (Filling) दायॉ बॉध में है। इस बीच नहर का बॉध काफी कमजोर है। इसकी पुष्टि में उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के पत्रांक 3784 दिनांक 4.12.12 एवं उनके निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 2.9.13 का उल्लेख किया गया है। आगे उनके द्वारा बताया बया है कि आरा मुख्य नहर के सवारी लॉक 28.26 कि0मी0 पर बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन का संयंत्र लगाया हुआ है। विद्युत संयंत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके कार्यालय का पत्रांक 118 दिनांक 24. 6.11 द्वारा यह निदेशित है कि जब कभी भी अतिरिक्त पानी रोककर विद्युत उत्पादन हेतु सवारी लॉक से नीचे छोड़ा जाय तो उन्हें सूचित किया जाय। दिनांक 9.7.12 की रात्रि में अतिवृष्टि होने, नहर में अत्यधिक जलस्राव होने एवं सवारी लॉक पर निर्मित विद्युत उत्पादन संयंत्र के कर्मचारियेां द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु अतिरिक्त पानी इकट्ठा करके एक बार छोड़ने के कारण सवारी लॉक 28.26 कि0मी0 एवं दनवार लॉक 33.77 कि0मी0 के बीच कमजोर बिन्दु पर 31. 50 कि0मी0 पर दायॉ बॉध के उपर से सिंचाई जल खेत की ओर प्रवाहित होने के फलस्वरूप नहर का दायॉ बॉध क्षतिग्रस्त हो गया। बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा सवारी लॉक 28.26 कि0मी0 पर निर्मित विद्युत संयंत्र के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त अत्यधिक पानी छोड़ने के पूर्व उन्हें सूचित नहीं किया गया। श्री सिंह के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्समय नहर संचालन हेतु सरकारी राशि उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करवाकर पटवन को सुनिश्चित किया गया।

2. श्री सिंह द्वारा बताया गया है कि वे अपने मुख्यालय में बराबर उपस्थित रहते है और इसकी जॉच प्रमण्डलीय कार्यालय में उपलब्ध वेतनपंजी से की जा सकती है। सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और उनके द्वारा सुरक्षा हेतु थाना प्रभारी, कच्छवॉ से एवं कार्यपालक अभियन्ता से की गई थी।

3. श्री सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया है कि श्री लाल बिहारी सिंह, भोजपुर जिला परिषद्, आरा द्वारा उनके विरूद्व लगाया गया आरोप गलत है। साक्ष्य स्वरूप श्री लाल बिहारी सिंह का पत्रांक 12/2013 दिनांक 4.4.13 की छाया प्रति संलग्न किया गया हैं।

4. डी0 पी0 आर0 के बिन्दु पर श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार का Detail Projet Report विभाग द्वारा स्वीकृत है। स्वीकृत D P R के आधार पर प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर तैयार कर उच्चाधिकारी के निदेशानुसार प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया गया है।

5. श्री सिंह द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने, व्यक्ति विशेष को लाभ पहुॅचाने एवं नहरों से छेड़ छाड़ करने से इंकार किया गया हैं।

6. दिनांक 9.1.13 को अनुपस्थित रहने के बिन्दु पर श्री सिंह द्वारा बताया गया है कि उक्त तिथि को कार्य पर रहने के बावजूद उन्हें कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अनुपस्थित किया गया है। उक्त तिथि को नहरों की देखरेख के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, सोन नहर अंचल, आरा द्वारा दूरभाष पर दिए गए निदेश के आलोक में वे कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, आरा के पास गए थे जहॉ उन्होंने 100 अद्द नाईलॉन क्रेट्स हेतु आवेदन दिया। उस आवेदन पर कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बाढ़ नियंत्रण अनुमंडल सं0–3 के सहायक अभियन्ता को 50 अद्द नाईलॉन क्रेट्स निर्गत करने का आदेश दिया गया। श्री सिंह द्वारा अपने कनीय अभियन्ता श्री प्रफ्फुल चन्द्र सिंह को 50 अद्द नाईलॉन क्रेट्स हस्तगत करवाया गया।

अन्त में श्री सिंह द्वारा नहर की देख रेख का कार्य कनीय अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने की जिम्मेवारी का उल्लेख करते हुए अधिरोपित दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया हैं।

श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए तथ्यों से विदित होता है कि उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जो विभागीय कार्यवाही के संचालन के दरम्यान संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने बचाव बयान एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव के रूप में समर्पित किया गया था। श्री सिंह का यह कथन कि नहर की देख रेख का कार्य कनीय अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कार्यपालक अभियन्ता की सामूहिक जिम्मेवारी है, वे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकते हैं।

इस प्रकार श्री सिंह द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई ऐसा नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विचारणीय बिन्दु के अधीन आता हैं।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुभाष सिंह, सहायक अभियन्ता, सोन नहर अवर प्रमण्डल, दनवार का पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 560-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in